भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 415

उत्तर देने की तारीख: 22.07.2019

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

***415. डॉ. राजदीप रायः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर-पूर्व के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अवसंरचनात्मक विकास तथा उनमें शोध कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं; और

(ख) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर को विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत/उसके द्वारा प्रयुक्त निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में डॉ. राजदीप राय द्वारा दिनांक 22.07.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 415 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), राष्ट्रीय आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं के उपयुक्त और वैश्विक रूझानों के अनुसार उच्च शिक्षा की गुणवत्तापरक प्रणाली विकसित करने में निरंतर प्रयासरत रहा है। इसको प्राप्त करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस प्रकार से संसाधन आबंटित करता है कि देश की उच्च शिक्षा प्रणाली, पहुंच और विस्तार, गुणवत्ता और उत्कृष्टता, समता और समावेशन, शोध और प्रासंगिकता तथा आईसीटी संयोजन के सिद्धांतों के साथ सुगठित और सुदृढ़ हो सके।

इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों में शोध और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं, पुरस्कारों, अध्येतावृत्तियों, बैठकों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिनके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और उनमें कार्यरत संकाय सदस्यों को विभिन्न विषयों के ज्ञान क्षेत्रों में गुणवत्तापरक शोधकार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं:-

(i) चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस)
(ii) उत्कृष्टता की क्षमता वाले विश्वविद्यालय
(iii) किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की क्षमता वाला केंद्र
(iv) विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)
(v) बुनियादी विज्ञान अनुसंधान
(vi) मुख्य अनुसंधान परियोजना
(vii) समुदाय महाविद्यालय
(viii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए छात्रवृत्ति योजना (ईशान उदय)
(ix) एनएएसी द्वारा ग्रेडिंग की नई कार्यपद्धति
(x) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं) विनियम, 2016
(xi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्वयम् के जरिए ऑनलाइन अधिगम पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) विनियम, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 'ईशान उदय योजना नामक एक विशेष छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के चयनित अभ्यर्थियों को भारत के मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/महाविद्यालयों में सामान्य/तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जिनमें चिकित्सा और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी शामिल हैं, में अवर स्नातक कार्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, चूंकि जनजातीय भाषाएं, पूर्वोत्तर और हिमालयी भाषाएं, संख्यात्मक भाषा और तटीय भाषाएं तेजी से लुप्त हो रही हैं, अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विलुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान की है और यह तेजपुर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय और सिक्किम विश्वविद्यालय में ''विलुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्र की स्थापना'' नामक एक योजना चला रहा है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर भाषाओं के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय को क्लस्टर विश्वविद्यालय के रूप में चुना गया है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में अवसरंचना विकास के लिए, सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण अवसरंचना निर्माण करने हेतु अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने के लिए 31 मई, 2017 को उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना एक गैर-लाभार्थ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में की है। एचईएफए द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अवसरंचना, भवनों का निर्माण आदि सहित पूंजीगत परिसंपत्तियों की अधिग्रहित करने/उनका सृजन करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण आधार पर निधियां दी जाती हैं।

तेजपुर विश्वविद्यालय (असम), असम विश्वविद्यालय (असम) और राजीव गांधी विश्वविद्यालय (अरूणाचल प्रदेश) को एचईएफए के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के अवसरंचना निर्माण करने के लिए क्रमश: 153.71 करोड़ रूपए, 38.97 करोड़ रूपए और 66.59 करोड़ रूपए संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख): विगत तीन वर्षों के दौरान असम विश्वविद्यालय, सिलचर द्वारा संस्वीकृत/प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रूपए में)

वर्ष	संस्वीकृत राशि	प्रयुक्त राशि
2016-17	8975.51	9890.20
2017-18	14241.65	13549.26
2018-19	9909.02	13774.83

विश्वविद्यालय द्वारा संस्वीकृत राशि के अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 (1212.71 लाख रूपए), वर्ष 2017-18 (1048.74 लाख रूपए) और वर्ष 2018-19 (1195.72 लाख रूपए) के दौरान असम विश्वविद्यालय द्वारा सृजित आंतरिक प्राप्तियों का प्रयोग आवर्ती अनुदानों के अंतर्गत व्यय की कमी को पूरा करने के लिए किया गया।

*****